

—: आदेश :—

21-11-2013

आवेदक श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता—स्व० वालेश्वर प्रसाद सिंह, सा०—अली नगर, बी०—111, पो०—अनीसाबाद, थाना—गर्दनीबाग, जिला—पटना से प्राप्त एक डी०बी०बी०एल० गन शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन—पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या—09-25/2012 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि—27.09.2013 निर्धारित की गई। अपरिहार्य कारणों से सुनवाई की पहली तिथि स्थगित करते हुए दूसरी तिथि—21.11.2013 निर्धारित की गई।

दूसरी निर्धारित तिथि दिनांक—21.11.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे पटना में L.I.C. के एजेन्ट हैं एवं Stock Exchange में शेयर का खरीद—फरोख्त करते हैं और साथ में खेतीबारी भी देखते हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक—1602/गो०, दिनांक—30.12.2012 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है। कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय, पटना के ज्ञापांक—64/सचि०, दि०—19.12.2012 द्वारा थानाध्यक्ष, गर्दनीबाग के जाँचोपरान्त उल्लेख किया गया है कि आवेदक का नाम व पता सही पाया गया। उनके स्थायी पते पर भी चरित्र सत्यापन कराना आवश्यक प्रतीत होता है। वर्तमान पता पर उनके विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं पायी गयी है। तदनुसार आवेदक का शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, गर्दनीबाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक पटना में L.I.C. एवं Stock Exchange में शेयर का खरीद—फरोख्त करते हैं और साथ में खेतीबारी भी देखते हैं। आवेदक के पिता के नाम पूर्व से एक डी०बी०बी०एल० गन अनुज्ञप्ति प्राप्त है, जो उनके मृत्योपरान्त शस्त्रागार में जमा है। तदोपरान्त आवेदक के जान—माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कोई तथ्य प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका—10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।


शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप—धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :


परन्तु जहाँ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।”

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक डी०बी०बी०एल० गन हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता-स्व० वालेश्वर प्रसाद सिंह, सा०-अली नगर, बी०-111, पो०-अनीसाबाद, थाना-गर्दनीबाग, जिला-पटना के आवेदित एक डी०बी०बी०एल० गन अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
लेखापित्त एवं संशोधित।


जिला दण्डाधिकारी,
पटना।


जिला दण्डाधिकारी,
पटना।